भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

परिपत्र

Circular

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/054/03/2020 दिनांकः 04-03-2020
Ref. No: IRDAI/HLT/REG/CIR/054/03/2020 Date: 04-03-2020

प्रति / To,
सभी बीमाकर्ता (ईसीजीसी, एआईसी को छोड़कर)
All Insurers (except ECGC, AIC)

विषयः कोरोना वायरस के अंतर्गत सूचित दावों पर कार्रवाई संबंधी दिशानिर्देश
Re: Guidelines on handling of claims reported under Corona Virus

1. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देश (संदर्भः आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/150/07/2016) दिनांक 29 जुलाई 2016 के उपबंधों के अनुसार फाइल किये गये और अनुमोदित किये गये उत्पादों के संबंध में, जहाँ अस्पताल में भर्ती की चिकित्सा के व्ययों के लिए कवरेज प्रदान किया गया है, पालिसीधारकों को संभवतः होनेवाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, कोरोना वायरस के अंतर्गत सूचित सभी दावों पर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
In respect of the products filed and cleared as per the provisions of Guidelines on product filing in Health Insurance Business (Ref: IRDA/HLT/REG/CIR/150/07/2016) dated 29th July 2016, where coverage is granted for treatment of hospitalization expenses, in order to alleviate the hardships that may be caused to the policyholders, all claims reported under corona virus shall be handled as per the following norms.

i) जहाँ किसी उत्पाद में अस्पताल में भर्ती को कवर किया गया है, वहाँ बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना वायरस रोग (कोविद-19) से संबंधित मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।
Where hospitalization is covered in a product, insurers shall ensure that the cases related to Corona virus disease (COVID-19) shall be expeditiously handled.

ii) संगरोधन अवधि के दौरान चिकित्सा सहित चिकित्सा की अवधि के दौरान स्वीकार्य चिकित्सा व्ययों की लागतों का निपटान पालिसी संविदा की लागू शर्तों एवं वर्तमान विनियामक ढाँचे के अनुसार किया जाएगा।
The costs of admissible medical expenses during the course of treatment including the treatment during quarantine period shall be settled in accordance to the applicable terms and conditions of policy contract and the extant regulatory framework.

iii) कोविद 19 के अंतर्गत सूचित सभी दावों की समीक्षा दावा समीक्षा समिति द्वारा दावों का निराकरण करने से पहले अच्छी तरह से की जाएगी।
All the claims reported under COVID 19 shall be thoroughly reviewed by the claims review committee before repudiating the claims.

2. आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के लिए, बीमाकर्ता रोगवाहक (वेक्टर) से उत्पन्न बीमारियों सहित विभिन्न विशिष्ट बीमारियों के लिए उत्पाद प्रारंभ कर रहे हैं। विभिन्न खंडों की स्वास्थ्य बीमा संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के लिए चिकित्सा की लागतों को कवर करनेवाले उत्पाद अभिकल्पित करें।
In order to provide need based health insurance coverage, insurers are introducing products for various specific diseases including vector borne diseases. For the purpose of meeting health insurance requirements of various sections, insurers are advised to design products covering the costs of treatment for Corona Virus.

3. ये अनुदेश आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के उपबंधों के अधीन जारी किये जाते हैं तथा ये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
These instructions are issued under the provisions of Section 14 (2) (e) of IRDA Act, 1999 and shall come in to force with immediate effect.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has the approval of the competent authority.

(डी वी एस रमेश / D V S Ramesh)
महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / General Manager(Health)